कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।
E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांकः-- 1108 / 13सी0

दिनांक 31-08 –2024

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी–तोली–ग्वालगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.875 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/120677/2021)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 60 / 2022 / एफ.सी. / 989 दिनांक 25–10–2023 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत है:–

क्र. स.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।
3	<u>प्रतिपूरक वनीकरणः–</u> (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.750 है0 सिविल सोयरम भूमि ग्राम रिंगू मुनस्यारी, खसरा सं0– 329, 337, 340, 344, 348, 350, 353, 355, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 384, 387, 393, 413, 2024, 2036, 2042, 2437, 2438 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Gudeline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) प्रत्यावित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(क) प्रस्तावित स्थल के आस–पास क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जायेगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि को वनविभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (ग) शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त संख्या –3 (क) अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा की गई है।

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य:– (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.875 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विषेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 8 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वनभूमि के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है। प्रस्तावक विभाग द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है। (छाया प्रति संलग्न)
7	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करनेकी दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित /जमा किए जाएगें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त मान्य है।
11	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेंगें।	शर्त मान्य है।
12	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।

19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर आहरित शर्ते लागू होगी।	निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक 1108/13सी0 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

E:\Amin\Latter Vanbhumi.doc

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/120677/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/120677/2021) Construction of Panyapodi Toli Gwalgaon Motor Road 7.750 Km	ROAD1206772021629	61120677629	25 Oct 2023	**CA:** 3478130/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3895189/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 7373319/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :14 Dec 2023 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :15 Dec 2023 **Transaction Date** :12 Mar 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121220231603040517_FPUKROAD1206772021_User_Fund_Demanded_98385.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1206772021629)
2	FP/UK/ROAD/67235/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/67235/2020) Construction/Extension of Dobat Ranth Light Vehicle Road into Motor Road from Km 0 to 7.075	ROAD672352020700	6167235700	20 Oct 2023	**CA:** 4644987/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 5201962/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 9846949/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :14 Dec 2023 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :15 Dec 2023 **Transaction Date** :12 Mar 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121220231558276554_FPUKROAD672352020_User_Fund_Demanded_G7425.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD672352020700)
3	FP/UK/ROAD/33229/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/33229/2018) Kathpatiya-Gudauli to Daula Motor Road	ROAD332292018017	6133229017	21 Nov 2023	**CA:** 1070367/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1636599/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 2706966/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :11 Jan 2024 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :18 Jan 2024 **Transaction Date** :17 Feb 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/151220231603350956_FPUKROAD332292018_User_Fund_Demanded_97185.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD332292018017)
4	FP/UK/ROAD/37691/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/37691/2018) Construction of Syakuri to Khela Motor Road Km- 2.00	ROAD376912018361	6137691361	07 Feb 2023	**CA:** 485510.48/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 636334.65/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1121845.13/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :14 Dec 2023 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :16 Dec 2023 **Transaction Date** :16 Dec 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121220231609491291_FPUKROAD376912018_User_Fund_Demanded_75841.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD376912018361)

545
15/04/24

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/60/2022/एफ.सी./989 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.875 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7.750 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी हैं।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.875 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगू पट्टी बसन्तकोट तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–61 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 329 रकवा 0.496 हे0, 337 रकवा 1.683 हे0, 340 रकवा 0.339 हे0, 344 रकवा 0.028 हे0, 346 रकवा 0.138 हे0, 348 रकवा 0.006 हे0, 350 रकवा 0.003 हे0, 353 रकवा 0.030 हे0, 355 रकवा 0.006 हे0, 359 रकवा 0.008 हे0, 361 रकवा 0.009 हे0, 363 रकवा 0.005 हे0, 365 रकवा 0.076 हे0, 367 रकवा 0.001 हे0, 369 रकवा 0.003 हे0, 371 रकवा 0.001 हे0, 384 रकवा 0.051 हे0, 385 रकवा 0.004 हे0, 386 रकवा 0.004 हे0, 387 रकवा 0.005 हे0, 393 रकवा 0.200 हे0, 413 मध्ये रकवा 0.014 हे0, 2024 रकवा 0.229 हे0, 2036 रकवा 0.650 हे0, 2042 रकवा 1.880 हे0, 2437 रकवा 1.006 हे0, 2438 रकवा 0.815 हे कुल 27 खेतों की 7.750 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मार्च, 30 , 2024

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1160 /सात– 16 /2023–24 दिनांक मार्च.30, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला/मुनस्यारी।
4. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अस्कोट पिथौरागढ।

AE (धारचूला) / JE(T)

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

	X	X
	8280	0.079
योग →	1681	[illegible]

श्रेणी 9(3) ख → [illegible]
श्रेणी 9(3) [illegible]

61.	बंजर काबिल आबाद क्र.	1374	12..	0.118
		कुल	13	0.025
			32	0.065
			33	0.141
			35	0.005
			49	0.014
			50	0.008
			53	0.004
			65	0.7476
			66	0.095
			67	0.018
			68	0.018
			69	0.010
			80	0.025
			81	0.006
			82	0.020
			83	0.005
			84	0.004
			85	0.008
			94	0.009
			98	0.008
			99	0.005
			100	0.008
			105	0.004
			107	0.010
			110	0.025

9c09311 361. 36

(61)

— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं० - संख्या-8बी/35 / यू.सी.पी/06.06.2022/सि.डी./989 दि० 25.10.2023 के क्रम में राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2273/XVIII(II)/2012-18(20)/2010 दि० 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यालय जिलाधिकारी [illegible] पिथौरागढ़ के पत्र सं० 1160/सात-16/2023-24 के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के [illegible] तहसील धारचूला के अन्तर्गत [illegible] 3.875 हे. वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु [illegible] ग्राम [illegible] के गैर [illegible] खाता सं०-61 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत सं० 329 रकबा 0.496 हे०, 337 रकबा 1.583 हे०, 340 रकबा 0.3[illegible] हे० 344 रकबा 0.028 हे०, 346 रकबा 0.138 हे०, 348 रकबा 0.006 हे०, 350 रकबा 0.003 हे० 353 रकबा 0.030 हे० 355 रकबा 0.006 हे० 359 रकबा 0.008 हे० 36[illegible] रकबा 0.0[illegible] हे०, 363 रकबा 0.005 हे० 365 रकबा 0.076 हे० 367 रकबा 0.001 हे० 36[illegible] रकबा 0.003 हे० 371 रकबा 0.001 हे० 384 रकबा 0.051 हे०, 385 रकबा 0.004 हे०, 386 रकबा 0.001 हे० 387 रकबा 0.025 हे०, 393 रकबा 0.0200 हे०, 4[illegible] रकबा 0.014 हे०, 2044 रकबा 0.229 हे० 2036 रकबा 0.650 हे०, 2042 रकबा 1.880 हे० 2037 रकबा 1.006 हे०, 2438 रकबा 0.815 हे० कुल - 27 खेतों की 7.750 हे० सिविल सोयम को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण आदेश दर्ज किया।

(हस्ताक्षर) [illegible] 30.11.24

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-12-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	61120677629
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/60/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	7373319/-

Amount in Words :Seventy-Three Lakh Seventy-Three Thousand Three Hundred and Nineteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961120677629 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-12-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	61120677629
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/60/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	7373319/-

Amount in Words :Seventy-Three Lakh Seventy-Three Thousand Three Hundred and Nineteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961120677629 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: [illegible]@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin09037[illegible]@unionbankofindia.bank

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 2213 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 04 नवम्बर, 2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.875 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति पश्चात डिमाण्ड नोट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/60/2022/एफ.सी./989 दिनांक 25.10.2023।

उपरोक्त संदर्भित उत्तराखण्ड शासन के आदेश पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 व 05 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य कुल धनराशि
1	एन0पी0वी0	3.875 हे0	1005210/– (ईको क्लास–V) घनत्व 0.1	3895188.75 या 3895189.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण	7.75हे0	4,48,791/–	3478130.25 या 3478130.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

2.38

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः–	माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निमार्ण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी0।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

JE

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अस्कोट)